उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– /XXVIII(1)/2018-77/2013
देहरादूनः दिनांकः 08 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु डॉ0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की अध्यक्षता मे संपन्न प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के अनुसार निम्न संस्थान का अन्तरिम शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून	बी0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	2,15,000/–
		एम0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	7,09,000/–

2– उपरोक्त संस्थान द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क में सभी अवयव (All components) सम्मिलित होंगे।

3– उक्तानुसार अनुमोदित शुल्क ढांचा उक्त संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4– यदि संस्थान के द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को संबंधित छात्र–छात्राओं को वापस किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक ली गयी धनराशि वापस न किये जाने पर संस्थान के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5– संस्थान में कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे तथा 50 प्रतिशत सीटें प्रबन्धकीय कोटे से भरी जायेंगी।

6– उक्त निर्देशों का उपरोक्त संस्थान द्वारा कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

C:\Yashwant\Karyalay Adesh 2018.docx

Scanned with OKEN Scanner

7— उत्तरांचल डेन्टल कॉलेज, माजरी, देहरादून का शुल्क अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है। भविष्य में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा अन्तिम शुल्क की संस्तुति किये जाने पर अन्तिम शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या– 671/XXVIII(1)/2018-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन/ सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति।

2— कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

3— निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4— श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।

5— प्राचार्य, उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून।

6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanner